न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 209/2014

वादीगण :-

1. दुर्गाराम पुत्र जालाराम
2. रामलाल पुत्र जालाराम
   जातियान-जाट निवासी-डिगरना,
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. भंवरूराम पुत्र जालाराम
2. पेमाराम पुत्र जालाराम
3. लाबूराम पुत्र देवाराम
4. बादरराम पुत्र मंगलाराम
5. रामस्वरूप पुत्र मंगलाराम
6. बाबूलाल पुत्र मंगलाराम
7. गटूदेवी बेवा मंगलाराम
8. रामनिवास पुत्र धारूराम
9. शिवकरण पुत्र धारूराम
10. नेमाराम पुत्र धारूराम
11. सायरी बेवा धारूराम
    जातियान-जाट, नि0-डिगरना
    तहसील-जैतारण, जिला-पाली
12. तहसीलदार, जैतारण
    तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.07.11.2014

उपस्थितः- 1. श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री रामस्वरूप चौधरी एवं श्री किशोरकुमार कुमावत, अधिवक्तागण, प्रति.।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 11/07/2015

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-डिगरना, पटवार सर्कल-डिगरना, तहसील-जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक व पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जा काश्त की शामलाती कृषि भूमि खसरा नम्बर 680 रकबा 5-11 बीघा किस्म बा0अ0, खसरा नम्बर 680 रकबा 5-11 बीघा किस्म बा0अ0, खसरा नम्बर 681 रकबा 5-16 बीघा किस्म बा0अ0 की आई हुई हैं। उक्त भूमि ग्राम-डिगरना में आबादी के पास सिणला जाने वाले रास्ते पर आई हुई हैं। जिसकी जमाबन्दी की नकल दावा के साथ पेश की जा रही हैं। दावा का एक भाग माना जावें। उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/3 हिससा व प्रतिवादी संख्या 3 का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 से 11 का 1/3 हिस्सा आया हुआ हैं। इसी हिस्से माफिक मौके पर कब्जा काश्त करते आ रहे हैं। उक्त भूमि आबादी के पास होने से कीमत ज्यादा होने से वादीगण व प्रतिवादीगण सभी रास्ता के पास कब्जा करने पर उतारू हैं। जबकि अभी तक कानूनन बंटवाड़ा किया हुआ नहीं हैं। मौके पर अपने-अपने हिस्से माफिक काबिज हैं। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादीगण को इनके हिस्से की जमीन रोड़ से काफी दूर देना चाहते हैं। जबकि मौके पर आने जाने के लिए वादीगण के रास्ता नहीं हैं। सभी हिस्सेदारान् रास्ते के पास अपना हिस्सा लेने पर उतारू हैं। इसलिए सभी हिस्सेदारान् के रास्ता लगता हो, उसी प्रकार से बाई मिट्टा एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाना जरूरी हैं। वादी संख्या 1 व 2 का 1/12-1/12

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

हिस्सा रास्ते के पास आया हुआ हैं, जिसकी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मौके पर से बेदखल करने पर उतारू हैं। वादीगण के हिस्से की जमीन में वादीगण के पत्थर, ज्वार का चारा डाला हुआ हैं। जिसको प्रतिवादी संख्या 1 व 2 रात बिरात कानून हाथ में लेकर हटाना चाहते हैं। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का मौके पर अलग से हिस्सा आया हुआ हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण उक्त भूमि के बंटवाड़े को लेकर हमेशा लड़ाई झगड़ा करते हैं। क्योंकि उक्त भूमि गांव के पास होने से आबादी में रूपान्तरण करवाना चाहते हैं। जब तक आपस में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा नहीं हो जाता हैं। जब तक आबादी में रूपान्तरण नहीं किया जा सकता हैं तथा न ही कच्चा या पक्का निर्माण किया जा सकता हैं। प्रतिवादीगण उक्त भूमि को आबादी में रूपान्तरण किये बिना ही मकान व चारदिवारी बनाना चाहते हैं। यदि प्रतिवादी बंटवाड़ा किये बिना ही केवल मात्र लाठी के बल पर शामलाती भूमि पर कोई किसी प्रकार का कच्चा व पक्का निर्माण कर लेगें, तो मौके पर लड़ई झगड़ा होगी, इसलिए जब तक न्यायालय द्वारा बंटवाड़ा कर अपने-अपने हिस्से माफिक ट्रेस नक्शा में तरमीम नहीं हो जाता। तब तक प्रतिवादी को किसी तरह का निर्माण जैसे पक्का मकान बनाना, चारदिवारी, बाड़ आदि नहीं करें और न वादीगण के पत्थर व ज्वार का चारा हटावे। जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना जरूरी हैं। प्रतिवादीगण संख्या में ज्यादा हैं, जो लाठी के बल पर नाजायज तौर से वादीगण के हिस्से की जमीन जो आम रास्ता के पास आई हुई हैं। जिस पर रात बिरात कब्जा कर पत्थरों से निर्माण कर लिया, तो मौके पर शांति भंग होने का पुरा-पुरा अन्देशा रहेगा। इसलिए प्रतिवादीगण को न्यायालय के आदेश से वादीगण के पत्थर व चारा हटाने से प्रतिवादीगण को रोका जाना जरूरी हैं। प्रतिवादी संख्या 12 लैण्ड होल्डर होने से व दावा बंटवाड़ा का होने से आवश्यक पक्षकार हैं। इसलिए पक्षकार बनाया गया हैं। वादीगण का बिनायवाद दिनांक 30/10/2014 को जब प्रतिवादीगण ने वादीगण के हिस्से की जमीन पर कब्जा करने व वादीगण के पत्थर व ज्वार का चारा हटाने की धमकी देने पर बमुकाम-डिगरना में पैदा हुआ हैं, जो न्यायालय के क्षैत्राधिकार में हैं व वाद अन्दर म्याद पेश किया हैं। इस प्रकार माफिक दावा वादी ने वाद डिक्री किया जाकर वादी की भूमि का पक्षकारानों में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया।

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र - डिगरना में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सरहद मौजा-डिगरना, पटवार सर्कल-डिगरना, तहसील-जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक व पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जा काश्त की शामलाती कृषि भूमि खसरा नम्बर 680 रकबा 5-11 बीघा किस्म बा0अ0, खसरा नम्बर 680 रकबा 5-11 बीघा किस्म बा0अ0, खसरा नम्बर 681 रकबा 5-16 बीघा किस्म बा0अ0 भूमि स्थित हैं। जिसमें वादीगण तथा प्रतिवादीगण का माफिक राजस्व रिकॉर्ड हिस्सा आता हैं। इसी अनुसार मौके पर काबिज हैं। इसी अनुसार मौके पर पत्थरगढ़ी नापचौंप कर करावें। तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया गया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव पेश करें। तहसीलदार, जैतारण ने बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय रूबरू उभय पक्षों व मौतबिरानों के तैयार करवाकर फर्द मौका मय नजरी नक्शा आज दिनांक 11/07/2015 को ही पेश किया, शामिल मिसल किया गया। उभय पक्षकारानों मय वकुलाय को सुना गया। वस्तुतः माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाना तथा पक्षकारों में विवादित आराजी की भूमि का बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–डिगरना, पटवार सर्कल–डिगरना, तहसील–जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक व पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जा काश्त की शामलाती कृषि भूमि खसरा नम्बर 680 रकबा 5–11 बीघा किस्म बा0अ0, खसरा नम्बर 680 रकबा 5–11 बीघा किस्म बा0अ0, खसरा नम्बर 681 रकबा 5–16 बीघा किस्म बा0अ0 का निम्नांकित रूप से बंटवाड़ा किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	लाबूराम पुत्र देवाराम कौम–जाट सा0 देह खातेदार।	681	3-15-00	बा0अ0	2.32 रू.
2	भंवरूराम पुत्र जालाराम कौम–जाट सा0 देह खातेदार।	681/1	0-19-00	बा0अ0	0.78 रू.
3	पेमारमा पुत्र जालाराम कौम–जाट सा0 देह खातेदार।	681/2	0-19-00	बा0अ0	0.78 रू.
4	दुर्गाराम पुत्र जालाराम कौम–जाट सा0 देह खातेदार।	681/3 680/2	0-03-00 0-16-00	बा0अ0 बा0अ0	0.78 रू.
योग		2	0-19-00	बा0अ0	0.78 रू.
5	रामलाल पुत्र जालाराम कौम–जाट सा0 देह खातेदार।	680/1	0-19-00	बा0अ0	0.78 रू.
6	बादरराम रामस्वरूप बाबूलाल पि0 मंगलाराम, गदूदेवी पत्नि मंगलाराम 1/2 हिस्सा, रामनिवास शिकरण नेमाराम पि0 धारूराम, सायरी बेवा धारूराम 1/2 हिस्सा कौम–जाट सा0 देह खातेदार।	680	3-16-00	बा0अ0	2.32 रू.

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 11/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र शिविरि–डिगरना पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– **श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0**

वादीगण :–

1. दुर्गाराम पुत्र जालाराम
2. रामलाल पुत्र जालाराम
   जातियान–जाट निवासी–डिगरना,
   तहसील–जैतारण, जिला–पाली

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. भंवरूराम पुत्र जालाराम
2. पेमाराम पुत्र जालाराम
3. लाबूराम पुत्र देवाराम
4. बादरराम पुत्र मंगलाराम
5. रामस्वरूप पुत्र मंगलाराम
6. बाबूलाल पुत्र मंगलाराम
7. गटूदेवी बेवा मंगलाराम
8. रामनिवास पुत्र धारूराम
9. शिवकरण पुत्र धारूराम
10. नेमाराम पुत्र धारूराम
11. सायरी बेवा धारूराम
    जातियान–जाट, नि0–डिगरना
    तहसील–जैतारण, जिला–पाली
12. तहसीलदार, जैतारण
    तहसील–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0:209/2014

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....–..... व हाजरी श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व श्री रामस्वरूप चौधरी एवं श्री किशोरकुमार कुमावत, अधिवक्तागण, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–डिगरना, पटवार सर्कल–डिगरना, तहसील–जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक व पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जा काश्त की शामलाती कृषि भूमि खसरा नम्बर 680 रकबा 5–11 बीघा किस्म बा0अ0, खसरा नम्बर 680 रकबा 5–11 बीघा किस्म बा0अ0, खसरा नम्बर 681 रकबा 5–16 बीघा किस्म बा0अ0 का निम्नांकित रूप से बंटवाड़ा किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	लाबूराम पुत्र देवाराम कौम–जाट सा0 देह खातेदार।	681	3-15-00	बा0अ0	2.32 रू.
2	भंवरूराम पुत्र जालाराम कौम–जाट सा0 देह खातेदार।	681/1	0-19-00	बा0अ0	0.78 रू.
3	पेमारमा पुत्र जालाराम कौम–जाट सा0 देह खातेदार।	681/2	0-19-00	बा0अ0	0.78 रू.
4	दुर्गाराम पुत्र जालाराम कौम–जाट सा0 देह खातेदार।	681/3 680/2	0-03-00 0-16-00	बा0अ0 बा0अ0	0.78 रू.
योग		2	0-19-00	बा0अ0	0.78 रू.

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

5	रामलाल पुत्र जालाराम कौम–जाट सा0 देह खातेदार।	680/1	0-19-00	बा0अ0	0.78 रू.
6	बादरराम रामस्वरूप बाबूलाल पि0 मंगलाराम, गदूदेवी पत्नि मंगलाराम 1/2 हिस्सा, रामनिवास शिकरण नेमाराम पि0 धारूराम, सायरी बेवा धारूराम 1/2 हिस्सा कौम–जाट सा0 देह खातेदार।	680	3-16-00	बा0अ0	2.32 रू.

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 11/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–डिगरना पर जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		

मिजानः–

मिजानः–

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner